

परियोजना पंजीयन वापसी हेतु स्वीकृति आदेश का प्रारूप

आदेश

विषय:- भू-सम्पदा परियोजना <Project_Name>, रेरा पंजीकरण संख्या <RERA_Registration_No> के पंजीयन को वापस लिए जाने की स्वीकृति।

प्रोमोटर मेसर्स <Promoter_Name> द्वारा अपनी पंजीकृत परियोजना <Project_Name>, रेरा पंजीकरण संख्या <RERA_Registration_No> का पंजीयन वापस किए जाने हेतु उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के समक्ष दिनांक <Date_of_Application> को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रोमोटर के आवेदन पर आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक <Public_Notice_Date> को सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कराया गया था।

प्राधिकरण द्वारा प्रोमोटर के आवेदन, संलग्न दस्तावेजों एवं सार्वजनिक सूचना के जवाब में प्राप्त आपत्तियों की जांच करने के उपरांत प्राधिकरण कीवीं बैठक के निर्णय दिनांक <Authority_Meeting_Date> में निम्नलिखित निर्देशों के साथ परियोजना के पंजीयन वापसी हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है -

1. प्रोमोटर द्वारा परियोजना या परियोजना के किसी भी हिस्से में किसी भी विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, बिक्री या बिक्री की पेशकश, या किसी भी तरीके से खरीद के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
2. प्रोमोटर परियोजना से संबंधित समस्त मुकदमों और देनदारियों के लिए जिम्मेदार रहेगा।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विफलता के विधिक प्रावधानों के अनुरूप दंडनीय परिणाम होंगे।

तदनुसार सभी संबंधितों को सूचित किया जाए।

सचिव

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

